राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.4(12)कृषि / ग्रुप–2 / 2000 जयपुर दिनांक 28 SEP 2020

आदेश

अचल सम्पत्ति आवंटन नीति 2005 में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैः–

आवंटन नीति का बिन्दु संख्या	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1	2	3
14.	1. मण्डी प्रांगणों में शीघ्रनाशवान कृषि जिन्सों की गुणवतायुक्त जीवन अवधि में वृद्धि हेतु राईपनिंग चैम्बर्स, पैक हाऊस हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो पर एवं द्वितीय चरण हेतु निर्धारित दर पर आवंटन किया जा सकेगा।	1. मण्डी प्रांगणों में शीघ्रनाशवान कृषि जिन्सों की गुणवतायुक्त जीवन अवधि में वृद्धि हेतु राईपनिंग चैम्बर्स, पैक हाऊस हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं गठित समिति की अभिशंषा पर मण्ड़ी प्रांगण की पृथक से निर्धारित डी.एल.सी. दर अथवा मण्ड़ी प्रांगण के निकटस्थ क्षेत्र की डी.एल.सी., जो भी प्रभावी हो, के 50 प्रतिशत पर आवंटन किया जा सकेगा।
	2. मुख्य/गौंण मण्ड़ी प्रांगण जहाँ भविष्य की आवश्यकताओं के युक्तियुक्त आंकलन के बाद भी रिक्त भूमि उपलब्ध हो तो वहाँ उस रिक्त भूमि में कृषि प्रसंस्करण इकाई, वेयर हाउस , विशेष संरचानाओं वाले भण्डारग्रह, कोल्ड स्टोरेज परियोजनाओं एवं कृषि विपणन आधारित अन्य परियोजनाएं जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिश्चय किया जावें, हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं गठित समिति की अभिशंषा पर मण्ड़ी प्रांगण की पृथक से निर्धारित डी.एल.सी. दर अथवा मण्ड़ी प्रांगण के निकटस्थ क्षेत्र की डी.एल.सी. के 50 प्रतिशत पर आवंटन किया जा सकेगा। परन्तु यह दर नवीन स्थापित मण्ड़ी समितियों में हुए/प्रस्तावित प्रथम चरण के आवंटन की दर से कम नहीं होगी।	2. मुख्य/गौंण मण्ड़ी प्रांगण जहाँ भविष्य की आवश्यकताओं के युक्तियुक्त आंकलन के बाद भी रिक्त भूमि उपलब्ध हो तो वहाँ उस रिक्त भूमि में कृषि प्रसंस्करण इकाई, वेयर हाउस , विशेष संरचनाओं वाले भण्डारग्रह, कोल्ड स्टोरेज परियोजनाओं एवं कृषि विपणन आधारित अन्य परियोजनाएं जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिश्चय किया जावें, हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं गठित समिति की अभिशंषा पर मण्ड़ी प्रांगण की पृथक से निर्धारित डी.एल.सी. दर अथवा मण्ड़ी प्रांगण के निकटस्थ क्षेत्र की डी.एल.सी., जो भी प्रभावी हो, के 50 प्रतिशत पर आवंटन किया जा सकेगा। परन्तु यह दर नवीन स्थापित मण्ड़ी समितियों में हुए/प्रस्तावित प्रथम चरण के आवंटन की दर से कम नहीं होगी। 3. मण्डी प्रांगणों में सामुदायिक स्तर पर मूल्य संवर्धन इकाईयों/कृषि आधारित इकाईयों/ड्राईंग यार्ड इत्यादि स्थापित किए जाने हेतु मण्डी प्रांगण में क्रियाशील व्यापार मण्डल, अनुज्ञापत्रधारी/ पंजीकृत कृषक उत्पादक संगठन, अनुज्ञापत्रधारी/ पंजीकृत कृषक उत्पादक कम्पनी, अन्य कृषि प्रसंस्करण से संबंधित पंजीकृत सामुदायिक /सहकारी संस्था को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं गठित समिति की अभिशंषा पर मण्ड़ी प्रांगण की पृथक से निर्धारित डी.एल.सी. दर अथवा मण्ड़ी प्रांगण के निकटस्थ क्षेत्र की डी. एल.सी. दर, जो भी प्रभावी हो, के 50 प्रतिशत पर भूखण्ड आवंटन किया जा सकेगा।

		उपरोक्त प्रावधानों 14 (1,2,3) के तहत किए गए आवंटन उपरान्त आवंटन राशि की वसूली आवंटन नोटिस जारी होने की दिनांक से चार समान त्रैमासिक किश्तों में एक वर्ष की अवधि में की जावेगी। 4. मण्डी प्रांगणों में पेट्रोल पम्प एवं बड़े व्यवसायिक शोरूम (जहां पर कृषकों की कृषि से संबंधित आवश्यकताओं की वस्तुऐं उपलब्ध हों) हेतु भूखण्ड का आवंटन 99 वर्षीय लीज पद्धति पर डीएलसी के शत प्रतिशत दर पर किया जावेगा। 5. कृषि एवं उद्यानिकी गतिविधियों के उपयोग में आने वाले उत्पादों, यथा कृषि यन्त्रों, कृषि आदानों, ट्रैक्टर आदि के विक्रय में विशिष्टता रखने वाले रिटेल–चैन उद्यमों को भी मण्डी प्रांगणों में खुदरा विक्रय केन्द्र स्थापित करने हेतु भूखण्ड 99 वर्षीय लीज पद्धति पर डीएलसी के शत प्रतिशत दर पर आवंटित किये जा सकेगें। उपरोक्त प्रावधानों 14 (4, 5) के तहत आवंटन पृथक से निर्धारित शर्तो एवं गठित समिति की अभिशंषा उपरान्त राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा। आवंटन राशि की वसूली आवंटन नोटिस जारी होने के 30 दिवस की अवधि में की जावेगी। आवंटित भूखण्ड का कब्जा आवंटन नोटिस् के साथ ही दिया जावेगा।
15(स)	मण्डी प्रांगण में वेयर हाउस पैटर्न /किराया पर आवंटित गोदामों का आवंटन ऐसी फर्म जिसे आवंटन विज्ञप्ति से कम से कम 10 वर्ष पूर्व से ही गोदाम मासिक किराया/ वेयर हाउस पैटर्न पर आवंटित हैं, को 99 वर्षीय लीज पद्धति पर द्वितीय चरण की आरक्षित दर पर किया जा सकेगा। आवंटी द्वारा विज्ञप्त कृषि जिन्सों का ही भण्डारण किया जावेगा।	मण्डी प्रांगण में वेयर हाउस पैटर्न /किराया पर आवंटित गोदामों का आवंटन ऐसी फर्म जिसे कम से कम 10 वर्ष पूर्व से ही गोदाम मासिक किराया/ वेयर हाउस पैटर्न पर आवंटित हैं को उस संबंधित फर्म द्वारा आवेदन किए जाने पर 99 वर्षीय लीज पद्धति पर द्वितीय चरण की आरक्षित दर पर किया जा सकेगा। आवंटी द्वारा विज्ञप्त कृषि जिन्सों का ही भण्डारण किया जावेगा।
15(द)	मण्डी प्रांगणों मे निर्मित ग्रामीण गोदामों का आवंटनः– मंडी प्रांगणों/ मण्डी क्षेत्र में केन्द्र सरकार प्रवर्तित योजनाओं में निर्मित रिक्त ग्रामीण गोदामों को मण्ड़ी प्रांगण की पृथक से निर्धारित डी. एल.सी. दर अथवा मण्डी प्रांगण के निकटस्थ क्षैत्र की डी.एल.सी दर, जैसी भी स्थिती हो, की 50 प्रतिशत भूमि की लागत में वर्तमान निर्माण लागत में प्रतिवर्ष 2% डेप्रिसिएशन करते हुए 99 वर्षीय लीज पद्धति पर आवंटन किये जा सकेंगे। इनके आवंटन की प्रकिया निम्न प्रकार होगीः– 1. मंडियों में ग्रामीण गोदाम का उपयोग कृषि जिन्सों के भण्डारण हेतु ही किया जावेगा।	मण्डी प्रांगणों मे निर्मित ग्रामीण गोदामों का आवंटनः– मंडी प्रांगणों/ मण्डी क्षेत्र में केन्द्र सरकार प्रवर्तित योजनाओं में निर्मित रिक्त ग्रामीण गोदामों को मण्ड़ी प्रांगण की पृथक से निर्धारित डी. एल.सी. दर अथवा मण्डी प्रांगण के निकटस्थ क्षैत्र की डी.एल.सी दर, जैसी भी स्थिती हो, की 50 प्रतिशत भूमि की लागत में वर्तमान निर्माण लागत में प्रतिवर्ष 2% डेप्रिसिएशन करते हुए 99 वर्षीय लीज पद्धति पर आवंटन किये जा सकेंगे। इनके आवंटन की प्रकिया निम्न प्रकार होगीः– 1. मंडियों में ग्रामीण गोदाम का उपयोग कृषि जिन्सों के भण्डारण हेतु ही किया जावेगा। 2. भण्डारण हेतु कृषकों द्वारा भण्डारण किये जाने पर भण्डारण की दर राज. भण्डार व्यवस्था निगम द्वारा निर्धारित दर से अधिक नहीं होगी।

	2. भण्डारण हेतु कृषकों द्वारा भण्डारण किये जाने पर भण्डारण की दर राज. भण्डार व्यवस्था निगम द्वारा निर्धारित दर से अधिक नहीं होगी। 3. ग्रामीण गोदाम हेतु विधिवत रुप से विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जावेंगे। एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर लॉटरी से आवंटन किया जावेगा। आवंटी को मंडी समिति से भण्डारण का अनुज्ञापत्र प्राप्त करना होगा।	3. ग्रामीण गोदाम हेतु विधिवत रुप से विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जावेंगे। एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर लॉटरी से आवंटन किया जावेगा। आवंटी को मंडी समिति से भण्डारण का अनुज्ञापत्र प्राप्त करना होगा।
15(द)(1)	नवीन प्रावधान	15(द)(1) मण्डी प्रांगण में वेयर हाउस पैटर्न /किराया पर आवंटित ग्रामीण गोदामों का आवंटन ऐसी फर्म जिसे कम से कम 10 वर्ष पूर्व से ही ग्रामीण गोदाम मासिक किराया/वेयर हाउस पैटर्न पर आवंटित हैं, को उस संबंधित फर्म द्वारा आवेदन किये जाने पर 99 वर्षीय लीज पद्धति पर द्वितीय चरण की आरक्षित दर में वर्तमान निर्माण लागत में प्रतिवर्ष 2% डेप्रिसिएशन करते हुए 99 वर्षीय लीज पद्धति पर आवंटन किया जा सकेगा। आवंटी द्वारा विज्ञप्त कृषि जिन्सों का ही भण्डारण किया जावेगा।

उक्त संशोधन सक्षम स्तर से अनुमोदित है तथा तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते है।

आज्ञा से,

(बृज गुप्ता)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संयुक्त सचिव (आरवी), माननीय मुख्यमंत्री (माननीय कृषि विपणन मंत्री), शासन सचिवालय जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि शासन सचिवालय जयपुर।
3. निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राजस्थान जयपुर ।
4. रक्षित पत्रावली

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
कृषि विपणन निदेशालय,जयपुर

कमांक:प.5(155)निकृवि/आवंटन/2020/ 28088-242 दिनांक:– 05.10.2020

प्रतिलिप :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. क्षेत्रीय संयुक्त/उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग खण्ड–समस्त।
2. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, समस्त।

(तारा चन्द मीना)
निदेशक
कृषि विपणन